प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 13.03.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 13.03.2026 को निम्न अभियोगों में सजा करायी गयी है ।

1. थाना ऊसराहार

मा0 न्याया0 एडीजे /स्पे0 जज (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त गौरव कुमार पुत्र कमलेश कुमार यादव निवासी ग्राम नगला ढकाऊ थाना ऊसराहार जनपद इटावा को 25 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना ऊसराहार पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 एडीजे /स्पे0 जज (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

थाना ऊसराहार क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को रात में सोते समय वादी के घर के ही अन्दर पकडकर पडोस के खाली मकान मे ले जाकर दुष्कर्म करना तथा धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनाँक 02.06.2022 को **मु0अ0सं0-122/2022 धारा 376/(3)/506 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी **थानाध्यक्ष श्री गंगादास गौतम** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना ऊसराहार पुलिस टीम, पैरोकार का0 सुरेन्द्र सिंह व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री दशरथ सिह चौहान द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 13.03.2026 को अन्तर्गत **धारा 376/(3)/506 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में मा0 न्याया0 एडीजे /स्पे0 जज (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष का कठोर कारावास व 50000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1.गौरव कुमार पुत्र कमलेश कुमार यादव निवासी ग्राम नगला ढकाऊ थाना ऊसराहार जनपद इटावा ।

1. थाना सिविल लाइन

मा0 न्यायालय एडीजे -12/डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त पुष्कर तोमर उर्फ बेटू पुत्र ज्ञान सिह निवासी यासीन नगर थाना बसरेहर जनपद इटावा को 04 वर्ष का कारावास व 3,500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सिविल लाइन पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय एडीजे -12/डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 3,500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा झपट्टा मारकर वादिया का मोबाइल VIVO Y 20 छीन लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनाँक 01.08.2021 को **मु0अ0सं0-230/2021 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी **थानाध्यक्ष श्री गीतम सिह** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम, पैरोकार का0 सिविल लाइन व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री कोशलेन्द्र सिह तोमर द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 13.03.2026 को अन्तर्गत **धारा 392/411 भादवि में मा0 न्यायालय एडीजे -12/डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 3,500/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **पुष्कर तोमर उर्फ बेटू पुत्र ज्ञान सिह निवासी यासीन नगर थाना बसरेहर जनपद इटावा ।**